E-mail: director@cbseacademic.in
Website: www.cbseacademic.in

Tel: 011-23212603
23211576
Tele Fax: 011-23234324

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वागत संगठन)

शिक्षा सदन, 17, इन्सटिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यु, दिल्ली–110002.

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
"Shiksha Sadan", 17, Institutional Area, Rouse Avenue, Delhi-110002

CBSE/Acad. & Voc/AP&JD/0-3-2013/1536/

दिनांकः 5 अप्रेल, 2013

परिपत्र संख्या–Acad. 23/2013

बोर्ड से संबद्ध सभी
विद्यालयों के प्रमुख

विषयः सत्र 2013–14 से कक्षा XI-XII के लिए एक नए वैकल्पिक विषय के रूप में ''न्यायिक अध्ययन'' की प्रस्तावना से संबंधित

प्रिय प्रधानाचार्य,

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रारंभिक समय से ही 'न्याय या कानून हमारे चारों ओर व्याप्त रहा है। यद्यपि समय के साथ विचारों में बदलाव आता गया लेकिन कानून सामान्यतया आज के समाज में भी यथावत कायम है। न्याय का विचार एक स्थिर और सुरक्षित समाज की रचना के लिए प्रवर्तित हुआ। लेखकों से राजनीतिज्ञों और स्वतंत्रता सेनानियों तक न्यायविदों ने अनेक उपाधियाँ ग्रहण की है। महात्मा गाँधी, डॉ॰ भीमराव अंबेडकर, डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद, फ्रेंच काफ्का और अब्राहम लिंकन– सभी न्यायिक पृष्ठभूमि से आए। नागरिक के रूप में हम में से कई लोगों ने ऐसी विविध परिस्थितियों का सामना किया होगा या हमें करना पड़ सकता है जिसमें न्यायिक सहायता की आवश्यकता पडी़ हो। अधिकतर मामलों में, कई अधिकार और प्रतिरक्षाएँ ऐसी हैं जो हमें मुखर या आग्रही बनने में सहायता कर सकती हैं यदि हम जानते हों कि कानून द्वारा प्रदत्त समय–सीमा के भीतर क्या और कैसे इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी, सहज समुचित सूचना और सजगता के अभाव के कारण ज्यादातर लोग यह अवसर गवाँ देते हैं। अधिकतर उदाहरणों में यह महज़ एक विशिष्ट और सही समय पर सही कार्रवाई करने की बात है। अधिकतर लोग जब तक पहल करते है, तब तक बहुत विलंब हो जाता है और परिस्थितियों के सरल समाधान में बहुत देरी हो जाती है।

न्याय या कानून केवल प्रतिबंधों और नियमनों का पैमाना ही नहीं है। यह आम नागरिकों के हितों (लाभों) का भंडार भी है। कानून का ज्ञान आम आदमी को अनेक सारे लाभ उपलब्ध करा सकता है। इस कानूनी जागरूकता को किसी को लाभ प्रदान करने में तथा होने वाले नुकसान से बचाने में सहायक होना चाहिए। यह सिर्फ वकीलों की विशेषज्ञता का क्षेत्र नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को कानून के मूलभूत प्रावधानों को जो कि उनपर लागू होते हैं तथा उन कानूनों को जो विशिष्ट गतिविधियों को विनियमित करते हों, उन्हें जानना चाहिए।

न्याय एक ऐसी आजीविका है जो विश्लेषणात्मक एवं तार्किक क्षमताओं की माँग करता है। एक सफल आजीवी या व्यवसायी होने के लिए यह कठिन परिश्रम एवं समर्पण की अपेक्षा करता है। तार्किक विवेचन की शक्ति, एक तेज और फुरतीला दिमाग, मानसिक एकाग्रता की शक्ति, धैर्य, सुदृढ़ अध्यवसाय और हर तरह के लोगों के साथ तथ्यों पर विमर्श करने की योग्यता जैसी कुछ क्षमताएँ हैं जो इस क्षेत्र में वांछित हैं। इसके साथ ही आत्म–विश्वास, अच्छी संप्रेषण क्षमता, अभिव्यक्ति की प्रतिभा और एक बेहतरीन आवाज़– ये सभी अनिवार्य हैं।

भारत में न्यायिक व्यवसायियों के लिए आजीविका के कई अवसर उपलब्ध हैं। पेशेवर अभ्यास में उतरने के अलावा न्यायिक व्यवसायियों के पास औद्योगिक क्षेत्र में उतरकर एक न्यायिक पदाधिकारी/न्यायिक कार्यपालक के तौर पर कार्य करने का विकल्प है। बड़े औद्योगिक घराने तो सीधे तौर पर शैक्षणिक परिसर से ही न्यायिक व्यवसायियों की भर्तियाँ करते हैं और आज तो इन न्यायिक व्यवसायियों की मांग विविध औद्योगिक क्षेत्रों में न्यायिक प्रबंधक या सलाहकार के रूप में है। आज अधिकतर कंपनियों के दैनिक कार्यों में अनुबंधन, संयुक्त उपक्रम एवं नीतिगत गठबंधन, लाइसेंसिंग, प्रतिभूतियाँ, विलय एवं अधिग्रहण आते है जो कार्य कंपनियों के विनिर्माण, विपणन, विक्रय और वितरण के कार्यो में मदद देते है। न्यायिक व्यवसायियों के लिए अन्य पेशागत विकल्प हैं कि वे अपना अभ्यास आरंभ कर सकते हैं, वे एक लॉ फर्म से जुड़ सकते है जो मुकदमेबाजी या चैम्बर कार्य या दोनों में ही विशेषज्ञ हो सकते है। न्यायाधीश महाधिवक्ता के कार्यालय में/रक्षा सेवा के कानून संवर्ग (law cadre) में शामिल हो सकते है, सार्वजनिक और बैंकिंग क्षेत्रों से जुड़ सकते हैं, जहाँ प्रशिक्षणार्थी अथवा परिवीक्षाधीन न्यायिक अधिकारियों के रूप में भर्ती की जाती है, वे कानून अधिकारी/न्यायिक सलाहकार और विभिन्न विभागों के प्रबंध के लिए एक न्यायिक सहायक के रूप में सरकारी नौकरी चुन सकते हैं, वे राज्य न्यायिक सेवा में शामिल हो सकते हैं, अथवा स्वतंत्र पत्रकार के रूप में कार्य कर सकते है और समाचार पत्रों को योगदान दे सकते है या प्रकाशन संस्थान में शामिल हो सकते है।

वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में और इसकी शैक्षणिक अंतः क्रियाओं एवं विद्वानों और विशेषज्ञों के साथ महत्त्वपूर्ण बैठकों में हुए विचार–विमर्श के बाद के॰ मा॰ शि॰ बो॰ (CBSE) ने हाल में यह ज़रूरत अनुभव की है कि 'न्यायिक अध्ययन' को शैक्षणिक सत्र 2013–14 से कक्षा XI के स्तर पर लागू किया जाए। 'न्यायिक' अध्ययन पाठ्यक्रम को लगभग 20 विद्यालयों में कक्षा XI के स्तर पर पहले आओ पहले पाओ' की तर्ज पर पथप्रदर्शक पाठ्यक्रम के रूप में प्रस्तावित किया है। इसे एक वैकल्पिक विषय के रूप में किसी भी तीन अन्य वैकल्पिक विषयों एवं एक भाषा के साथ लिया जा सकता है।

यह सूचना उन सभी विद्यालयों के प्रमुखों को सूचित करने के लिए लाई गई है, जो अपने विद्यालय/ संस्थान में इस कोर्स की शुरूआत करने की इच्छा रखते हैं। वे इस सूचना के साथ संलग्न प्रपत्र (संलग्नक 'A') को भरकर अपनी इच्छा व्यक्त करें। ''सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली'' के पक्ष में अपेक्षित राशि के बैंक–ड्राफ्ट के साथ प्रपत्र को भरकर, उसे 20 अप्रैल, 2013 से पहले, दिल्ली में देय, निदेशक (अकादमिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार) CBSE शिक्षा सदन, 17–राउज़ एवेन्यू, नई दिल्ली–110002 के पते पर भेज सकते हैं।

इस विकल्प से संबंधित यदि किसी भी तरह की शंका हो तो कृपया आप श्री राम शंकर, संयुक्त निदेशक, CBSE से 011–23211576 पर फोन से या jdcbse@gmail.com पर ई–मेल से संपर्क कर सकते हैं।

स॰	ालय के प्रकार	क
	के अंतर्गत स्वतंत्र विद्यालय	3000 र
	श मे स्वतंत्र विद्यालय	10,000 र

साधना पाराशर

डॉ॰ साधना पाराषर
प्रोफेसर एवं निदेषक (षैक्षणिक, अनुसंधान, प्रषिक्षण एवं नवाचार)

निवेदन के साथ, सभी निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना देने के लिए प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18–इन्स्टिट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली – 110016.
2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, ए-28, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली.
3. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली.–110054
4. निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर–9, चंडीगढ़–160017.
5. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम–737101
6. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरूणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर–791111.
7. शिक्षा निदेशक, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर–744101.
8. राज्य शिक्षा संस्थान, के॰मा॰शि॰बो॰ कक्ष वी॰आई॰पी॰ मार्ग, जंगली घाट, पी॰ओ॰–744103, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह।
9. केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस॰एस॰ प्लाज़ा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर–3, रोहिणी, दिल्ली–110085.
10. शिक्षा अधिकारी/सह–शिक्षा अधिकारी, शैक्षणिक विभाग, के॰मा॰शि॰बो॰
11. अनुसंधान अधिकारी (तकनीकी) को इस परिपत्र को के॰मा॰शि॰बो॰ की वेबसाइट पर डालने के अनुरोध के साथ।
12. पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी, के॰मा॰शि॰बो॰
13. अध्यक्ष, के॰मा॰शि॰बो॰ के कार्यकारी सचिव
14. सचिव, के॰मा॰शि॰बो॰ के डेस्क अधिकारी/निजी सहायक
15. परीक्षा नियंत्रक, के॰मा॰शि॰बो॰ के निजी सहायक
16. निदेशक (शैक्षणिक) के॰मा॰शि॰बो॰ के निजी सहायक
17. संयुक्त सचिव, (संयुक्त प्रवेश परीक्षा), के निजी सहायक
18. विभाग अध्यक्ष, (एडुसैट) के निजी सहायक
19. जन संपर्क अधिकारी के॰मा॰शि॰बो॰, के निजी सहायक
20. के॰मा॰शि॰बो॰ के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को अपने–अपने क्षेत्र के सभी संबद्ध विद्यालयों के प्रमुखों को भिजवा दें।

प्रोफेसर एवं निदेषक (षैक्षणिक, अनुसंधान, प्रषिक्षण एवं नवाचार)